

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी**

अपील संख्या 12/2020

तारीख रजू 07.01.2020

हंसा, धनपाल, लोहडक्या पुत्रान मोती जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तह०चौथ का बरवाडा।

----- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

----- रेस्पो०

निर्णय

दिनांक..... 10/5/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 262/2019 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 0.15 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त की प्रोपर तामील नहीं हुई है एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित खसरा नम्बर के पास अपीलान्त की खातेदारी की भूमि है एवं खातेदारी की भूमि पर ही काश्त की है तथा संवत् 2076 में तो वर्षा अधिक होने के कारण कोई फसल पैदा नहीं हुई है। यह है कि पटवारी ने मौके पर जाकर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है नहीं आस पास के खेत वालों के बयान लिये गये हैं। यह है कि मौके पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर



की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्तगण के भाई को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्तगण बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को उपस्थित हुए । अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है । जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है । अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ । मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक.....10/5/2021.....को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

१६  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर